

# कार्यालय नगर पालिक निगम कोरबा (छ.ग.)

फा.क्रमांक... / स्व./ 06/2019 / 162

कोरबा दिनांक 19/2/2019


## आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा सोसायटी अधिनियम 1960 का (21) या अन्य के अधीन रजिस्ट्रीकृत तथा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में पंजीकृत संस्था से नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत एवीमल कट्टरोल बोर्ड आवारा कुत्तो के बंधियाकरण/ हेहु निम्नलिखित निविदा आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अमानत राशि रूपये	निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये	निविदा प्रपत्र करने करने हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	प्रपत्र निविदाएँ खोलने की तिथि
01	कोरबा नगर निगम गे आवारा कुत्तो का बंधियाकरण एवं टीकाकरण कार्य ।	60000/- (साठ हजार)	3000/- (तीन हजार रूपये मात्र)	07.03.2019	13.03.2019

शर्त :—

- उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत जानकारी इन्मार निगम कोरबा की वेबसाइट [www.korbamunicipal.in](http://www.korbamunicipal.in) पर उपलब्ध है।
- निविदा दाता अमानत राशि के रूप में एस.टी.डी.आर. जो आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय होगा।
- निविदा दाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
- पशु जन्म नियंत्रण (कुत्तो) नियम 2001 का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
- संबंधित अन्य जानकारी व शर्तें व नियम कार्यालयीन समय में देखी जा सकती हैं।

  
स्वास्थ्य अधिकारी  
नगर पालिक निगम  
कोरबा (छ.ग.)


# कार्यालय नगर पालिक निगम कोरबा (छ.ग.)

आवारा कुत्तो पर नियन्त्रण हेतु बंधियाकरण/ठीकाकरण की नियम-शर्तें :-

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा सोसायटी अधिनियम 1960 का (21) या अन्य के अधीन रजिस्ट्रीकृत तथा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था मे पंजीकृत संस्था से नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत एनीमल कन्ट्रोल बोर्ड आवारा कुत्तो के बंधियाकरण हेतु निम्नलिखित निविदा आमंत्रित किये जाते हैं।

1. निविदाओ दो लिफाफा मे जिसमे प्रथम लिफाफे A मे तकनीकी दस्तावेज तथा द्वितीय लिफाफे B मे वित्तीय प्रस्ताव देना होगा।
2. प्रथम लिफाफा A मे तकनीकी दस्तावेजो के परीक्षण उपरान्त पात्र पाये जाने पर ही द्वितीय लिफाफा B खोला जाएगा।
3. निविदाकार द्वारा आवारा कुत्तों को चिन्हित कर पकड़ने का कार्य भारत सरकार के राजपत्र मे निर्धारित प्रक्रिया के तहत करना होगा तथा बंधियाकरण का कार्य नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा निर्धारित स्थान पर करना होगा।
4. कोरबा नगर पालिक निगम के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आवारा कुत्तो का बंधियाकरण पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति से योग्यताधारी पशु शल्य चिकित्सक द्वारा कराना होगा।
5. ऑपरेशन केन्द्र मे आवारा कुत्तो का रख रखाव ऑपरेशन के पूर्व एवं पश्चात् भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन Extra ordinary '1923 दिनांक 24.12.2001 मे दी गई व्यवस्था अनुसार रखना होगा।
6. आवारा कुत्तो के बंधियाकरण में प्रयुक्त उपकरण व औषधियों का व्यय निविदाकार को करना होगा।
7. ऑपरेशन केन्द्र मे रखे जा रहे आवारा कुत्तो के भोजन एवं औषधियों का व्यय निविदाकार को करना होगा।
8. निविदाकार को ऑपरेशन केन्द्र मे स्थापित आवारा कुत्तो प्रबंधन एवं नियंत्रण पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुशंसित अन्य स्वायत्तशासी, संस्थाओं, ग्राम पंचायतो इत्यादि को श्वान प्रबंधन एवं नियंत्रण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगे।
9. वर्तमान मे ऑपरेशन केन्द्रो मे स्थापित उपकरणों, भवन, पानी के बोरिंग, बिजली इत्यादि की रख रखाव व उस पर होने वाले व्यय निविदाकार को करना होगा।
10. ऑपरेशन केन्द्र संचालन मे नियुक्त सभी स्टॉफ का प्रबंधन निविदाकार को करना होगा व उस पर होने वाला व्यय भी संवेदक को करना होगा।
11. निविदाकार द्वारा जिन कुत्तों का बंधियाकरण की कार्यवाही करेगा यदि किसी पालतु कुत्तो का बंधियाकरण निविदाकार द्वारा किया जाता है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
12. निविदाकार द्वारा आवारा कुत्तो का बंधियाकरण निगम द्वारा अधिकृत अधिकारी/पर्यवेक्षक के समक्ष किया जाएगा जिसकी एक पंजी संधारित की जावेगी जिसमे आवारा कुत्तो के संबंध मे विवरण अंकित किया जाएगा। उक्त रजिस्टर का सत्यापन संबंधित अधिकृत अधिकारी /पर्यवेक्षक से कराया जावेगा।
13. सत्यापित रजिस्टर के अनुसार देयक का भुगतान किया जावेगा।
14. निविदाकार द्वारा जिन कुत्तो का बंधियाकरण की कार्यवाही करेगा उनको चिन्हित कर उसी स्थान पर छोड़ेगा जहाँ से उन्हे पकड़ा गया हो।

15. द्वितीय पक्ष द्वारा कुत्तों का बंधियाकरण की विडियो ग्राफी करनी होगी।
16. ऑपरेशन केन्द्र मे बंधियाकरण हेतु शहर से कुत्तो पकड़वाने का कार्य बिना किसी प्रकार की क्रुरता के निविदाकार को करना होगा।
17. आवारा कुत्तो पकड़ने मे प्रयुक्त वाहन व स्टॉफ की व्यवस्था व उस पर होने वाले व्यय निविदाकार को करना होगा।
18. कुत्ता पकड़ने एवं छोड़ते समय आवारा कुत्ता नियंत्रण हेतु जारी राजपत्र मे दी गई व्यवस्था का पालन करना होगा।
19. पकड़े गये कुत्तो एवं बंधियाकरण किये गये कुत्तों का सांख्यिकीय ब्यौरा क्षेत्रवार एवं वर्षवार निविदाकार को रखना होगा।
20. स्वास्थ्य अधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक द्वारा रिकार्ड मांगने पर उपलब्ध करवाना होगा।
21. बंधियाकरण किये गये कुत्तो के अण्डकोष एवं अण्डाषय को भौतिक सत्यापन हेतु रखना होगा। कार्य का भौतिक सत्यापन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
22. Rabies vaccination करना अनिवार्य है।
23. श्वान केन्द्र संचालन हेतु अनुभवी फर्म को प्राथमिकता दी जावेगी।
24. पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम 2001 का पूर्णरूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

  
 आयुक्त  
 क्राइ पालिक निगम  
 कोरवा (छ.ग.)